



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष / Phone: 0151-2970177 ईमेल / E-mail: registrar@mgsbikaner.ac.in

क्रमांक : प.03(केलेण्डर) / मगसिंविबी / संस्था. / 2024 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 986 दिनांक 12.09.2024 के द्वारा भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद् (Indian Political Science Association) का वार्षिक अधिवेशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी- "विकसित भारत@2047" का आयोजन दिनांक 17-19 अक्टूबर, 2024 को विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इसी क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार अधिवेशन एवं संगोष्ठी की पूर्व तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु विश्वविद्यालय में दिनांक 16.10.2024 से 19.10.2024 तक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं कार्यालयी कार्य स्थगित रहेगा तथा जिन सदस्यों को कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य आवंटन कर रखा है, वे अपना कार्य समयबद्ध रूप से सम्पादित करेंगे।

उक्त अवधि में कोई भी शिक्षक/अधिकारी/कार्मिक बिना सक्षम स्वीकृति/अनुमति के अवकाश पर नहीं रहेंगे, विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर पर अनुमति उपरांत ही अवकाश का उपभोग करेंगे।


क्रमांक : प.03(केलेण्डर) / मगसिंविबी / संस्था. / 2024 /

8780-86

दिनांक : 28/9/24
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सहायक-कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. निजी सहायक-कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक-वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. प्रभारी अधिकारी-मीडिया सेल (वार्षिक अधिवेशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विश्वविद्यालय कार्य स्थगन के संबंध में सूचना बीकानेर संभाग स्तर के समस्त समाचार पत्रों, Social Media पर एवं समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को प्रकाशित/प्रसारित करवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि उक्त चार दिवस में विश्वविद्यालय संबंधित कार्यों हेतु आने वाले विद्यार्थीगण को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
5. समस्त विश्वविद्यालय शिक्षकगण/अधिकारीगण/कार्मिकगण, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. नोडल अधिकारी, वेबसाइट को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


सहायक कुलसचिव (संस्था.)